अध्याय – XII

निष्कर्ष

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस निष्पादन लेखापरीक्षा को शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इसके अंतर्गत भा.पु.स. के कई उद्देश्यों, प्रक्रियाओं और परिणामों के कई पहलुओं की समीक्षा की गई। भा.पु.स. की सबसे बड़ी असफलता, उसके मूल कार्य पुरातत्व विज्ञान, जिसमें उत्खनन, सर्वेक्षण और उत्खनन की रिपोर्टों को प्रकाशित करना है, के संदर्भ में पाई गयी। वर्तमान में भा.पु.स. का उत्खनन पर व्यय कुल बजट के एक प्रतिशत से भी कम था। हमने पाया कि भा.पु.स. के पास उत्खनन स्थलों के चुनाव, काम को खत्म करने की अवधि और उत्खनन की खोजों को प्रकाशित करवाने संबंधी कोई नीति नहीं थी। परिणास्वरूप, प्रमुख स्थानों जैसे कि धोलावीरा, सान्घोल, राखीगढ़ी, श्रावस्ती, मथुरा के उत्खनन के दशकों बीत जाने के बाद भी उनकी रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। कई मामलों में इन उत्खननों का नेतृत्व कर रहे पुरातत्वविद, अब भा.पु.स. के साथ नहीं है। कुछ मामलों में, पुरातत्वविदों की मौत हो चुकी है। परिणामस्वरूप, खोज में मिली पुरानी वस्तुओं का कोई हिसाब किताब नहीं है और कहीं-कहीं तो उत्खनन के स्थल का नामोनिशान तक नहीं मिल रहा है।

हमने पाया कि योजनाबद्ध कार्यशैली की अनदेखी की जा रही थी। खोज और संरक्षण भा.पु.स. के महत्वपूर्ण कार्य है, तथापि इन क्षेत्रों के लिए कोई विस्तृत नीति नहीं बनाई गई थी। परिणामस्वरूप संरक्षण के लिए किए गए उपाय अत्यंत अपर्याप्त थे। हमने पाया कि अपने मुख्य कार्यों के लिए भा.पु.स. अभी भी 1923 में प्रकाशित नीति पुस्तिका पर निर्भर था। इस दस्तावेज को अद्यतन नहीं किया गया था। भा.पु.स. के महत्वपूर्ण प्रकाशन जैसे "भारतीय पुरातत्व विज्ञान एक पुनरीक्षण" लंबे वर्षों से लंबित पड़े थे।

ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों के प्रभावी बचाव के लिए नीतियों को अद्यतन करना, वस्तु सूची का प्रकाशन और इमारत के पूर्ण विवरण से संबंधित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। तथापि इन क्रियाकलापों को संबंधित इकाइयों द्वारा पूर्ण नहीं किया गया था। राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्मारक और पुरावस्तु मिशन भी अपने कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने में असफल रहा। इस मिशन में दिशा दृष्टि तथा सही नीति की कमी थी।

इन कमजोरियों के प्रसंगवश, ऐतिहासिक स्थलों पर अतिक्रमण और गैरकानूनी निर्माण को बढ़ावा मिला। विस्तृत योजना के अभाव में और संगठन की कमजोरियों की वजह से भा.पु.स. की तीन प्रमुख इकाइयों के बीच कोई तालमेल नहीं था जोकि इमारत की संरचना, रसायनिक और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए जिम्मेदार थीं। संरक्षण की सफलता की जिम्मेदारी व्यक्तिगत पहल पर छोड़ दी गई थी और इस विषय पर समग्र विभागीय सोच का नितान्त अभाव था।

जहां तक भा.पु.स. के वित्तीय प्रबंधन का सवाल है, हमने पाया कि भा.पु.स. को दी गई निधियां बिल्कुल अपर्याप्त थीं, तथापि उनकी तरफ से या संस्कृति मंत्रालय की तरफ से इसको बढ़वाने या धनोपार्जन के तरीकों की खोज करने के लिए कोई पहल नहीं की गई थी। श्रम शक्ति प्रबंधन में सबसे बड़ी कमी मानव संसाधन की थी जिसकी वजह से कार्यों का पर्यवेक्षण न के बराबर था और सुरक्षा अपर्याप्त थी।

भा.पु.स. पुरानी पुरावस्तु एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने में असमर्थ था और पुरानी कलात्मक वस्तुओं के गैरकानूनी निर्यात की घटनाऐं जोरों पर थी। इस अधिनियम में बदलाव हेतु प्रस्तावित न्यायिक सुधार वर्षों से लंबित पडे थे।

हमने संग्रहालयों की कार्यशैली में उल्लेखनीय कमियाँ देखीं। संग्रहालयों के पास कलात्मक वस्तुओं के अधिग्रहण, संरक्षण तथा दस्तावेजीकरण करने के लिए कोई मानक या निर्देश चिन्ह नहीं थे। हमने जिस भी संग्रहालय का लेखापरीक्षण किया, वहां पर अधिग्रहण की गई वस्तु की सत्यता की जांच करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं थी। अधिग्रहित कलात्मक वस्तुओं के दस्तावेजीकरण की कमी तथा डिजिटल तकनीक को इस्तेमाल करने में असफलता और साथ ही साथ वस्तुओं के भौतिक सत्यापन न हो पाने के कारण, इन कलात्मक वस्तुओं के गुम या गायब होने की संभावना बढ़ गयी थी। इन संग्रहालयों में प्रभावी सुरक्षा एवं निगरानी प्रणाली का अभाव, सुरक्षा तंत्र की निराशाजनक स्थिति को दर्शाता है।

हमने यह भी देखा कि बहुत सारी कमियां जिनका संबंध भा.पु.स. की कार्यशैली से है, उनको विशेषज्ञ/संसदीय समितियों ने अपने सिफारिशों में इंगित किया था। इसके बावजूद, यह खेद का विषय है कि संस्कृति मंत्रालय ने इन चेतावनी संकेतों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी राय में, शीघ्रातिशीघ्र ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे कि भा.पु.स. का जीर्णोद्धार हो ताकि वह अपने निर्धारित कार्यों को पूरा कर सके और अपने पुराने गौरव को हासिल कर सके।

नई दिल्ली
दिनांकः 2 अगस्त 2013

(रॉय मथरानी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा,
केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांकः 5 अगस्त 2013

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

GEETA